सं. 010/वीजीएल/035
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन
जी.पी.ओ. काम्प्लैक्स, ब्लाक-ए
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 23 जून, 2010

**परिपत्र संख्या 23/06/010**

**विषय : राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना में सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाना ।**

आयोग ने देखा है कि ई-प्रापण साफ्टवेयर, सुरक्षा तथा कार्यान्वयन एक नया क्षेत्र है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है । प्रापण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में इलेक्ट्रॉनिक विधियों का प्रयोग करके सामानों, कार्यों तथा सेवाओं के सहयोगी प्रापण के लिए ई-प्रापण एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है । ई-प्रापण प्लेटफार्म गोपनीय प्रापण आंकड़े संपादित करता है तथा इसमें अनेक सुरक्षा जोखिमों की संभावना होती है । ई-प्रापण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वोत्तम सहायक हो सकता है । ई-प्रापण प्रणाली की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों/संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रणालियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्रमाणित कराएं ।

ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

विभागों/मंत्रालयों के सभी सचिव
सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों आदि के सभी अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी